

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2747
उत्तर देने की तारीख-12/08/2026

समग्र शिक्षा के अंतर्गत जारी किया गया केंद्रीय अंश

2747 श्री तिरुची शिवा:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) समग्र शिक्षा के अंतर्गत वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों हेतु अनुमोदित केंद्रीय अंश तथा वास्तव में जारी की गई धनराशि का तुलनात्मक तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) राज्यों को समग्र शिक्षा के अंतर्गत केंद्रीय अंश जारी करने के लिए लागू मानदंड और शर्तें क्या हैं, तथा क्या वर्ष 2023-24 से 2025-26 के दौरान इन मानदंडों में कोई परिवर्तन हुआ है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) समग्र शिक्षा के अंतर्गत वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए तमिलनाडु को देय निधियों की स्थिति क्या है, तथा यदि कोई शेष राशि है, तो उसे किस समयावधि तक जारी किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): वर्ष 2024-25 और 2025-26 हेतु समग्र शिक्षा के अंतर्गत परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित केंद्रीय अंश और जारी किया गया केंद्रीय अंश का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ख): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के क्षेत्राधिकार में आते हैं। समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित की जाती है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत मध्यवर्तियों के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न घटकों के लिए मानदंडों के अनुसार सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तदनुसार, समग्र शिक्षा के अंतर्गत वार्षिक योजनाएं राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर तैयार की जाती हैं। तत्पश्चात इन योजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन योजना के कार्यक्रममात्मक एवं वित्तीय मानदंडों के अनुसार राज्यों और संघ राज्य

क्षेत्रों के परामर्श से परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा किया जाता है। निधियां वित्त मंत्रालय द्वारा व्यय की गति, आनुपातिक राज्यांश की प्राप्ति, संपरीक्षित लेखे, बकाया अग्रिमों संबंधी विवरण, अद्यतन व्यय विवरण, वित्तीय प्रबंधन और खरीद मैनुअल में निर्धारित जानकारी की प्रस्तुति तथा विगत वर्ष के संपरीक्षित उपयोग प्रमाण पत्र जैसी निर्धारित शर्तों की पूर्ति के आधार पर जारी की जाती हैं।

वित्त मंत्रालय द्वारा निधि प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने और वित्तीय अनुशासन को सुदृढ़ करने के लिए एसएनए प्लेटफॉर्म स्थापित किया गया था। प्रणाली को आधुनिक बनाने और अपेक्षाकृत अधिक सुदृढ़ करने के लिए नया एसएनए स्पर्श प्लेटफॉर्म आरंभ किया गया। एसएनए स्पर्श अंतिम उपयोगकर्ताओं को निधियों के प्रत्यक्ष इलेक्ट्रॉनिक अंतरण को संभव बनाता है तथा बिलों के डिजिटल प्रस्तुतीकरण एवं वास्तविक समय पर निगरानी में सहायक है, जिससे मध्यस्थ स्तरों पर होने वाला विलंब कम होता है और पारदर्शिता बढ़ती है। यह एकदम समय पर संवितरण दृष्टिकोण में भी सहायक है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि निधियां अंतिम उपयोगकर्ताओं तक ठीक आवश्यकता के समय पहुंचे और निष्क्रिय शेष राशि न्यूनतम रहे। इस मॉडल के अंतर्गत, निधियों के उपयोग को सुगम बनाने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार मूल स्वीकृतियां सृजित की जाती हैं, जिससे केंद्र सरकार से अंतिम लाभार्थी तक निधियों का सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी प्रवाह सुनिश्चित होता है।

(ग): समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत, परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा संबंधित वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपीएंडबी) के अनुमोदन के आधार पर, और निर्धारित निधि-साझाकरण पैटर्न, दिशानिर्देशों और निधियों की उपलब्धता के अनुसार, तमिलनाडु राज्य सहित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां आवंटित की जाती हैं। केंद्रीय अंश जारी करना पूर्व में जारी निधियों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्रों, लेखा-परीक्षा रिपोर्टों, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्टों, राज्य के योगदान तथा योजना मानदंडों के अनुपालन की प्रस्तुति पर निर्भर करता है। यद्यपि समग्र शिक्षा का कार्यान्वयन एनईपी, 2020 का ही कार्यान्वयन है और तमिलनाडु सरकार ने एनईपी, 2020 को इसकी संपूर्णता में लागू करने पर सहमति नहीं दी है, तथापि व्यापक परिप्रेक्ष्य के साथ-साथ तमिलनाडु के बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, समग्र शिक्षा के 'आरटीई पात्रता' घटक का स्वीकार्य केंद्रीय अंश जारी करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, समग्र शिक्षा के 'आरटीई पात्रता' घटक के अंतर्गत तमिलनाडु सरकार को ₹713.99 करोड़ का केंद्रीय अंश जारी किया गया, जिसमें वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ₹362.81 करोड़ और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹351.18 करोड़ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2026-27 की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट (एडब्ल्यूपीएंडबी) में समग्र शिक्षा के 'आरटीई पात्रता' घटक के अंतर्गत ₹374.51 करोड़ का स्वीकार्य केंद्रीय अंश सहित ₹624.19 करोड़ की राशि अनुमोदित की गई है।

अनुलग्नक

‘समग्र शिक्षा के अंतर्गत जारी किया गया केंद्रीय अंश’ के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री तिरुची शिवा द्वारा दिनांक 12.08.2026 को पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2747 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

समग्र शिक्षा के तहत वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए अनुमोदित केंद्रीय अंश और जारी किया गया केंद्रीय अंश का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2024-25		2025-26	
		अनुमोदित केंद्रीय अंश	जारी किया गया केंद्रीय अंश	अनुमोदित केंद्रीय अंश	जारी किया गया केंद्रीय अंश
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	8484.17	6052.36	8939.32	3869.54
2	आंध्र प्रदेश	173293.31	124010.57	150932.16	135357.92
3	अरुणाचल प्रदेश	64447.49	57585.11	78323.47	63014.31
4	असम	288347.22	202677.34	368806.99	293009.36
5	बिहार	499123.47	421781.44	601525.04	553372.53
6	चंडीगढ़	13720.64	11858.35	14810.08	12005.58
7	छत्तीसगढ़	126779.26	83065.84	118482.35	99340.73
8	दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव	9802.68	5462.64	10972.68	6464.84
9	दिल्ली	55139.51	38539.03	56633.22	36574.97
10	गोवा	2426.79	1633.61	2770.98	2424.62
11	गुजरात	160173.72	124554.05	143519.86	139673.21
12	हरियाणा	107632.86	53643.94	84604.25	49381.92
13	हिमाचल प्रदेश	76494.93	52619.99	71073.55	67646.43
14	जम्मू और कश्मीर	172160.13	82349.31	143599.16	51692.09
15	झारखंड	117386.04	107444.41	122684.85	113287.66
16	कर्नाटक	93654.51	86830.33	114334.70	107534.08
17	केरल	42889.42	0.00	45890.90	9927.38
18	लद्दाख	20099.43	13999.80	24401.82	19950.81
19	लक्षद्वीप	741.78	306.12	881.10	560.52
20	मध्य प्रदेश	412209.15	343471.12	375084.65	303907.55
21	महाराष्ट्र	143859.39	112624.52	143182.77	128900.23
22	मणिपुर	53200.51	46559.15	59620.04	33512.85
23	मेघालय	39882.71	36282.56	40658.74	37017.68
24	मिज़ोरम	29798.67	21651.76	33224.04	17017.73
25	नागालैंड	28439.24	21140.50	36020.06	28100.34
26	ओडिशा	193480.26	167239.29	213955.90	179423.68
27	पुडुचेरी	1974.29	1246.03	2126.35	873.36
28	पंजाब	70878.25	67813.14	94756.42	82309.70
29	राजस्थान	386553.20	309065.25	370507.41	298225.92
30	सिक्किम	15661.00	12273.95	16641.54	11373.38
31	तमिलनाडु	215315.01	0.00	189642.31	71399.14
32	तेलंगाना	116271.55	98878.94	112421.86	108641.05
33	त्रिपुरा	45179.94	42002.98	50742.20	36171.82
34	उत्तर प्रदेश	697621.18	626479.22	589243.27	562215.15
35	उत्तराखंड	88371.48	64678.27	76780.05	49969.86
36	पश्चिम बंगाल	174579.86	0.00	199839.46	0.00
	कुल	4746073.05	3445820.90	4767633.57	3714147.93

स्रोत: पीएबी कार्यवृत्त/पीएफएमएस